

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2018/505

दिनांक : 31/12/18

**आदेश**

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित परीक्षा में बैठने की अनुमति अद्योलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा
1.	श्री अनुराग तिवाड़ी सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी जालसू जयपुर	एम.ए.प्रिवियस परीक्षा-18-19 (स्वयंपाठी)
2.	श्री शंकर सिंह शेखावत सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी अमरसर जयपुर	फार्मासिस्ट परीक्षा-2018
3.	श्री अशोक कुमावत सहायक रेडियोग्राफर	मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर	बी.ए.(पार्ट-प्रथम) परीक्षा-18-19 (स्वयंपाठी)
4.	श्री गौरव कुमार जांगिड़ सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी सपोटरा करौली	रेडियोग्राफी टेक्नीशियन परीक्षा-2018
5.	श्री महेन्द्र कुमार रेडियोग्राफर	जनाना अस्पताल चांदपोल, जयपुर	एम.ए. परीक्षा-18-19 (स्वयंपाठी)
6.	श्री पुष्पेन्द्र चौधरी नेत्र सहायक	पीएमओ जवाहर चिकि जैसलमेर	एम.ए. परीक्षा-18-19 (स्वयंपाठी)
7.	श्री विष्णु कुमार चौधरी नेत्र सहायक	पीएमओ राज बांगड़ चिकि.डीडवाना नागौर	एनडीडीवाई द्वितीय वर्ष परीक्षा-18-19
8.	सुश्री नेहा सोनी नेत्र सहायक	सीएचसी भिवाड़ी अलवर	एनईटी-जेआरएफ परीक्षा-18-19

1. विभाग/राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/पद लाभ की मांग नहीं करेंगे।
3. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
4. यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।
5. अन्यत्र चयन होने पर नियमानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करा कर कार्यमुक्त हो कर चयनित पद पर कार्यग्रहण करना होगा।

**नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।**

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम, करौली व अलवर।
2. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर/जनाना अस्पताल चांदपोल जयपुर
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर/राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना नागौर।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर